महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम का असंगठित क्षेत्र की मजदूरी पर प्रभाव

डॉ0 विनीता कटियार असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, नारायन कालेज, शिकोहाबाद
डॉ0 शिशिर कुमार वर्मा एसोसियेट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष , अर्थशास्त्र विभाग, एस0आर0के0 महाविद्यालय, फिरोजाबाद

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की 66 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गाँवों में निवास करती है जो मुख्यतःकृषि पर निर्भर करती है। कृषि के अलावा रोजगार के अन्य अवसर प्राप्त नहीं हो पाते है। अधिकांश श्रमिक शून्य सीमान्त उत्पादकता के साथ कृषि कार्यो में संलग्न है और अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार रहते है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी भी पायी जाती है। ग्रामीण भारत के उत्थान के लिये सरकार द्वारा रोजगारपरक नरेगा लागू किया गया, जिसमें अकुशल श्रम करने को तैयार प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

मनरेगा योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरो के लिये वरदान बन कर आई है। मनरेगा के क्रियान्वयन के बाद से असंगठित क्षेत्रो की मजदूरी बढ़ी है। जिससे उनके जीवन स्तर मे सुधार आया है। असंगठित क्षेत्रो में लिंग के आधार पर मजदूरी भुगतान में होने वाले भेदभाव में कमी देखने को मिली है, जिससे यह योजना महिला समानता और सशक्तिकरण की अवधारणा भी सार्थक प्रतीत होती है।

भारत एक ग्राम प्रधान देश है। परन्तु भारतीय ग्रामीण क्षेत्र अत्यन्त पिछडे एंव गरीब है। आजादी के बाद से ही सरकार ग्रामीण क्षेत्रो के विकास तथा गरीबी निवारण हेतु अनेक कार्यक्रम तथा योजनाये क्रियान्वित कर रही है। जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में फैली बेरोजगारी को दूर कर गरीबी निवारण का प्रयास किया जा रहा है। उसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी आये है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रो में जनसंख्या वृद्धि, खेतो के सीमान्तीकरण तथा कृषि के मशीनीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रो में बेरोजगारी और बढी है। ग्रामीण क्षेत्र में फैली भीषण बेरोजगारी के कारण बेरोजगार ग्रामीण श्रमिक कम मजदूरी में भी कार्य करने को विवश है तथा कार्य के तलाश में वे ग्रामीण क्षेत्रो से बाहरी शहरी क्षेत्रो में प्रवासित होने को भी विवश है। ग्रामीण श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र से पलायन के द्वारा शहरी क्षेत्र में जब रोजगार की तलाश में आते है तो वे शहरी अर्थव्यवस्था में भी आवास, बेरोजगारी आदि जैसे अनेक समस्याओ को बढ़ा देते है। उपरोक्त समस्याओ से निपटने हेतु आवश्यक है कि ग्रामीण श्रमिको को ग्रामीण क्षेत्रो में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण क्षेत्रो से गरीबी दूर करने का एक कारगर हथियार के रूप मे सामने आ रहा है। मनरेगा के माध्यम से न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रो की बेरोजगारी दूर हो रही है, जिससे ग्रामीण शहरी प्रवास कम हो रहा है बल्कि इससे असंगठित क्षेत्रो की मजदूरी भी बढी है। मनरेगा के माध्यम से प्रत्येक कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती है, और मजदूरी का भुगतान 15 दिन के अन्दर बैक/डाकघर के माध्यम से किया जाता है।

अध्ययन पद्धति एंव आँकड़ो का संग्रह *–*

प्रस्तुत पेपर '' महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम का असंगठित क्षेत्र की मजदूरी पर प्रभाव'' मे महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के लागू होने के बाद से ग्रामीण तथा असंगठित क्षेत्रो की मजदूरी पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन का प्रयास किया गया है। साथ ही यह भी देखने का प्रयास किया गया है कि मनरेगा के क्रियान्वयन के पश्चात् असंगठित क्षेत्रो में मजदूरी वितरण में लिंग के आधार पर भेदभाव पर क्या प्रभाव पडा है? प्रस्तुत पेपर के अध्ययन हेतु मुख्यतः द्वितीयक संमको का प्रयोग किया गया है। समंक मुख्यतः ग्रामीण विकास मंत्रालय, शोध जनरल, मनरेगा वेबसाइट आदि से संकलित किये गये है।

अध्ययन के उदेश्य *–*

प्रस्तुत शोधपत्र में मनरेगा के क्रियान्वयन के पश्चात् असंगठित क्षेत्रो की मजदूरी की दर मे परिवर्तन का अध्ययन किया गया हैं। साथ ही असंगठित क्षेत्र में ग्रामीण महिला तथा पुरूष श्रमिको की मजदूरी में अन्तर पर मनरेगा के क्रियान्वयन के प्रभाव को भी जानने का प्रयास किया गया है। मनरेगा के मुख्य उदेश्य है –

- *मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षो में रोजगार सृजन का अध्ययन करना।*

- *मनरेगा के अन्तर्गत औसत व्यक्ति दिवस रोजगार संख्या का अध्ययन करना।*
- *मनरेगा के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर औसत मजदूरी प्रति मानव दिवस का अध्ययन करना।*
- *मनरेगा के क्रियान्वयन का असंगठित क्षेत्र में लिंग के आधार पर मजदूरी वितरण मे भेदभाव का अध्ययन करना।*

मनरेगा तथा रोजगार सृजन *–*

मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार सृजन के द्वारा ग्रामीण गरीब व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाया गया तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थायी परिसम्पत्तियो के निर्माण के द्वारा विकास कार्य किया गया। मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 में 90.50 करोड़ व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित किया गया तथा 2.10 करोड़ परिवारो को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2007–08 मे रोजगार सृजन बढ़ कर 143.59 करोड़ व्यक्ति दिवस हो गया तथा 3.29 करोड़ परिवारो को रोजगार मिला।

तालिका संख्या –1

मनरेगा के अन्तर्गत सृजित व्यक्ति दिवस रोजगार तथा रोजगार (करोड़ में)

वर्श	*व्यक्ति दिवस रोजगार सृजन (करोड़ में)*	*परिवारो की संख्या जिनको रोजगार उपलब्ध कराया गया*
2006–07	*90.50*	*2.10*
2007–08	*143.68*	*3.39*
2008–09	*216.33*	*4.51*
2009–10	*283.59*	*5.25*
2010–11	*257.15*	*5.49*
2011–12	*211.42*	*4.98*
2012–13	*134.76*	*4.05*
कुल योग	*1337.43*	*29.77*

स्रोत *–* www.nrega.nic.in

वर्ष 2008–09 में 216.32 करोड़ कार्य दिवस रोजगार सृजित कर 4.51 करोड़ परिवारो को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2009–10 में 283.59 करोड़ कार्य दिवस रोजगार सृजित करके 5.26 परिवारो को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2010–11 मे 283.59 करोड़ कार्य दिवस रोजगार सृजित करके 5.26 परिवारो को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2010–11 में व्यक्ति दिवसो की संख्या 257.15 करोड़ सृजित कर 5.49 करोड़ परिवारो को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2011–12 में व्यक्ति दिवसो की संख्या घट गई, यह मात्र 217.67 करोड़ कार्य दिवस ही रह गई तथा 5.05 करोड़ परिवारो को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2012–13 मे अब तक मात्र 136.18 व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित कर 4.08 करोड़ परिवारो को रोजगार उपलब्ध कराया। तालिका संख्या– 1 से स्पष्ट है कि मनरेगा मे कुल 1337.43 करोड़ व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित किया गया तथा 30.06 करोड़ परिवारो को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

चित्र – 1क
मनरेगा के अन्तर्गत सृजित व्यक्ति दिवस रोजगार

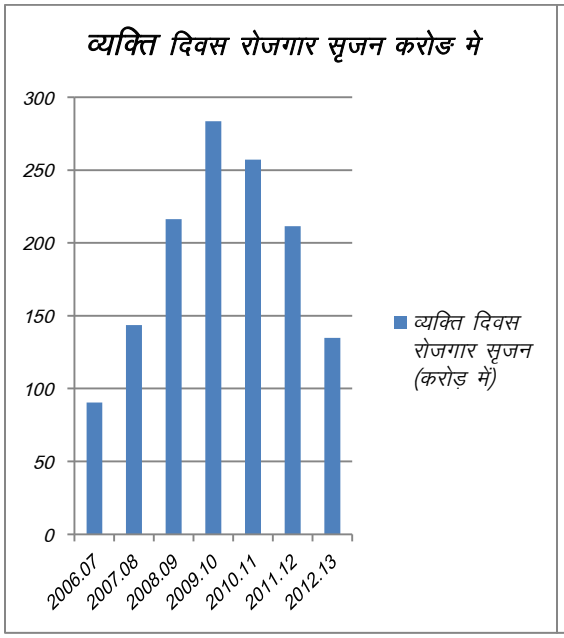

चित्र – 1ख
मनरेगा के अन्तर्गत उपलब्ध रोजगार

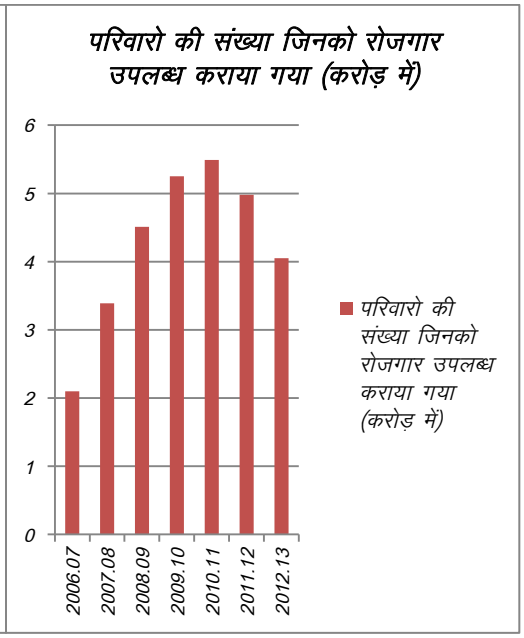

स्रोत – तालिका संख्या –1 के आधार पर निर्मित

चित्र – 1 से स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत लगातार व्यक्ति दिवस रोजगार का सृजन बढ़ा है, जिसके कारण लगातार पहले की तुलना में ग्रामीण परिवारो के लिये रोजगार की उपलब्धता बढ़ी है। वर्ष 2006–07 में मात्र 2.10 करोड़ परिवारो को रोजगार उपलब्ध कराया गया जो वर्ष 2010–11 में बढ़ कर 5.49 करोड़ हो गया, जिसमे वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 मे कुछ कमी देखी गई, परन्तु स्थिति ज्यादा विचारणीय नही है।

मनरेगा तथा प्रति परिवार औसत मानव दिवस रोजगार

प्रति परिवार औसत व्यक्ति दिवस रोजगार की संख्या के आधार पर देखे तो वर्ष 2006–07 में 43 दिवस 2007–08 में 42 दिवस तथा 2010–11 में 47 दिवस रही। वर्षवार औसत व्यक्ति दिवस रोजगार की तालिका संख्या– 2 में प्रदर्शित है।

तालिका संख्या– 2
मनरेगा के अन्तर्गत सृजित औसत व्यक्ति दिवस रोजगार की संख्या

वर्ष	*औसत व्यक्ति दिवस रोजगार संख्या*
2006–07	*43*
20070–8	*42*
2008–09	*48*
2009–10	*54*
2010–11	*47*

स्रोत – आर्थिक समीक्षा, 2012

तालिका संख्या– 2 से स्पष्ट है कि मनरेगा के अन्तर्गत सबसे ज्यादा औसत व्यक्ति दिवस रोजगार संख्या वर्ष 2009–10 तथा सबसे कम वर्ष 2007–08 मे सृजित किये गये।

चित्र– 2

मनरेगा के अन्तर्गत सृजित औसत व्यक्ति दिवस रोजगार की संख्या

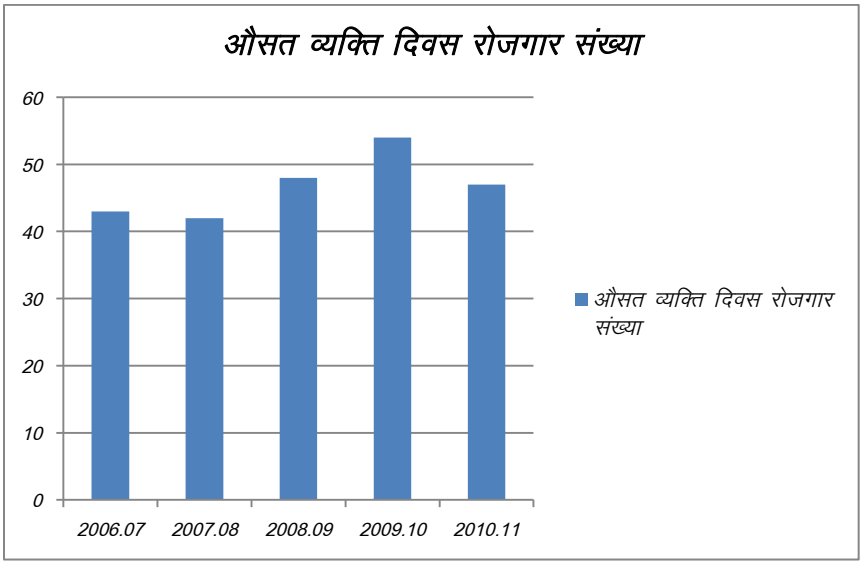

स्रोत – तालिका संख्या –2 के आधार पर निर्मित

चित्र– 2 से स्पष्ट है कि मनरेगा योजना अपने 100 दिन प्रति परिवार रोजगार के उदेश्य को पूर्ण करने में विफल रही है। यह अधिकतम 54 औसत व्यक्ति दिवस रोजगार वर्ष 2009–10 में सृजित कर सकी है। परन्तु फिर भी असंगठित क्षेत्रो में रोजगार के कुछ अवसर सुलभ हुये है जो वहाँ व्याप्त गरीबी तथा बेरोजगारी दूर करने में सहायक सिद्ध हुये है।

तालिका संख्या– 3

मनरेगा के अन्तर्गत औसत मजदूरी प्रति व्यक्ति दिवस

वर्ष	*औसत मजदूरी प्रति व्यक्ति दिवस*
2006–07	***65***
20070–8	***75***
2008–09	***84***
2009–10	***90***
2010–11	***100***

स्रोत – आर्थिक समीक्षा, 2012

तालिका संख्या –3 से स्पष्ट है कि मनरेगा पर राष्ट्रीय स्तर पर औसत मजदूरी वर्ष 2006–07 मे मात्र 65 रू0 थी जो वर्ष 2007–08 में बढ़ कर 75 रू0, वर्ष 2008–09 में 84 रू0, वर्ष 2009–10 में 90 रू0 तथा 2010–11 में 100 रू0 हो गई।

चित्र– 3

मनरेगा के अन्तर्गत औसत मजदूरी प्रति व्यक्ति दिवस

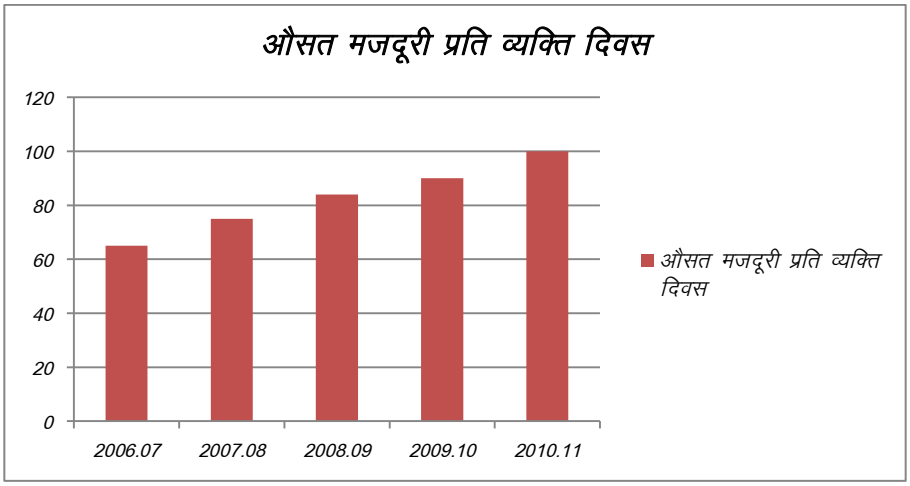

स्रोत – तालिका संख्या –3 के आधार पर निर्मित

चित्र –3 से स्पष्ट हैं कि प्रति व्यक्ति दिवस औसत मजदूरी मनरेगा के अन्तर्गत लगातार बढ़ रही है। बढ़ती हुई मजदूरी असंगठित क्षेत्रो की मजदूरी को प्रभावित कर रही है।

मनरेगा क्रियान्वयन का असंगठित क्षेत्र की मजदूरी पर प्रभाव *–*

मनरेगा के क्रियान्वयन मे असंगठित क्षेत्रो की मजदूरी बढ़ी है। मनरेगा के क्रियान्वयन के बाद से ग्रामीण क्षेत्रो में बड़े किसानो, ठेकोदारो तथा अन्य व्यक्तियों के साथ कार्य में संलग्न मजदूरो ने मनरेगा की ओर रूख कर लिया है। वे कार्य हेतु मनरेगा से संलग्न कार्यो को वरीयता देते है। इसका मुख्य कारण मनरेगा के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी का वैधानिक प्रावधान है। मनरेगा के क्रियान्वयन के बाद से विगत 5 वर्षो से किसानो, ठेकेदारो को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कई इलाको मे तो फसल कटाई तथा बुआई के समय पर्याप्त मात्रा में श्रमिक उपलब्ध नही हो पाते है। परिणाम–स्वरूप ठेकेदारो, बड़े किसानो तथा उत्पादन फैक्ट्री मालिको को श्रमिको का पारिश्रमिक बढाना पडा है।

तालिका संख्या – 4

मनरेगा का असंगठित क्षेत्रो की मजदूरी पर प्रभाव

राज्य	*कृषि श्रमिको की मजदूरी*	
	मनरेगा के क्रियान्वयन के पूर्व	*मनरेगा के क्रियान्वयन के पश्चात्*
महाराष्ट्र	*47*	*72*
उत्तर प्रदेश	*58*	*100*
बिहार	*68*	*81*
प0 बंगाल	*64*	*75*
मध्य प्रदेश	*58*	*85*
जम्मू कश्मीर	*45*	*70*
छत्तीसगढ़	*58*	*72*
राष्ट्रीय स्तर	*65*	*84*

स्रोत– कुरूक्षेत्र,पृष्ठ संख्या 15, दिसम्बर 2010

चित्र– 4

मनरेगा का असंगठित क्षेत्रो की मजदूरी पर प्रभाव

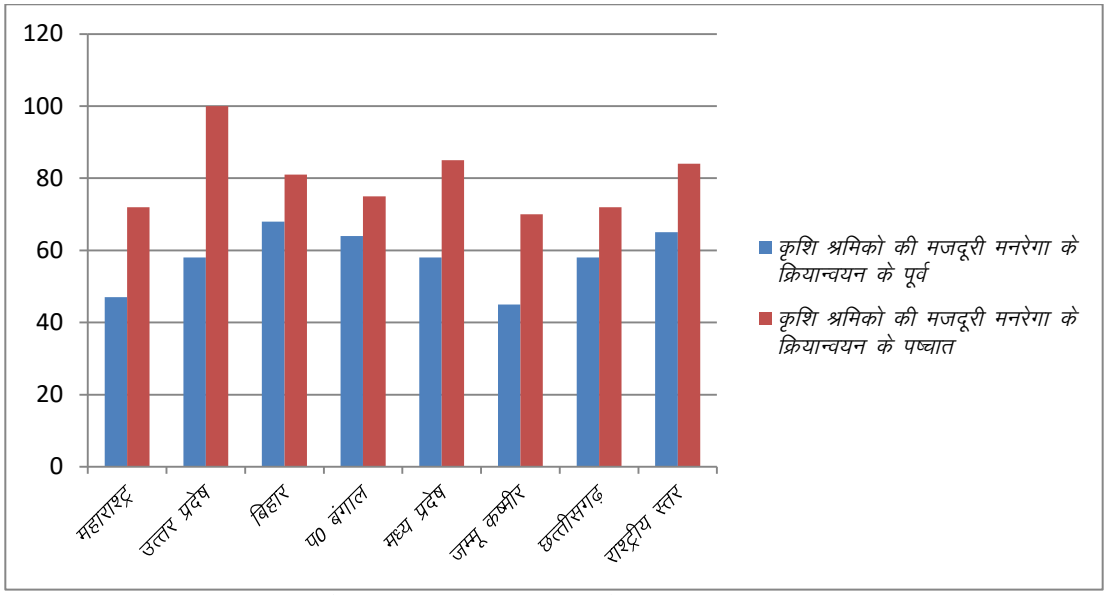

स्रोत – तालिका संख्या –4 के आधार पर निर्मित

तालिका संख्या– 4 से स्पष्ट है कि मनरेगा के क्रियान्वयन से असंगठित क्षेत्र की मजदूरी में वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र की मजदूरी रू0 47 से बढ़कर 72, उत्तर प्रदेश में 58 से बढ़कर 100 रू0, बिहार में 68 रू0 से बढ़कर 81 रू0 मजदूरी हो गई। अन्य जगह भी असंगठित क्षेत्रो में न्यूनतम मजदूरी बढ़ी है। राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली औसत मजदूरी वर्ष 2006–07 में 65 रू0 थी जो वर्ष 2010–11 में बढकर 120 रू0 हो गई है। निष्कर्षतः भारत में मनरेगा के क्रियान्वयन के बाद से असंगठित क्षेत्रो में मजदूरो की मजदूरी बढ़ी है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है।

मनरेगा तथा लिंग के आधार पर मजदूरी भुगतान *–*

मनरेगा के क्रियान्वयन से पूर्व असंगठित क्षेत्र में मजदूरी के भुगतान में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। महिला श्रमिको की मजदूरी पुरूष श्रमिको की तुलना बहुत कम होती थी। जिसका विवरण तालिका संख्या – 5 में प्रदर्शित है।

तालिका संख्या – 5

मनरेगा के क्रियान्वयन के पूर्व असंगठित क्षेत्र में लिग के आधार पर परिश्रमिक में भिन्नता

क्षेत्र	*अनियमित मजदूरो की औसत मजदूरी/प्रति दिन की आय*		
	पुरूष	*महिला*	*अन्तर*
ग्रामीण क्षेत्र	*56.29*	*37.97*	*21.32*
शहरी क्षेत्र	*80.70*	*44.57*	*36.12*

स्रोत–UPUEA, Economic Journal, Volume Conference No. 4, Page 128.

तालिका संख्या– 5 से स्पष्ट है कि मनरेगा के क्रियान्वयन के पूर्व असंगठित क्षेत्र में ग्रामीण तथा शहरी दानो ही जगह लिंग के आधार पर पारिश्रमिक में भिन्नता पायी जाती थी, परन्तु मनरेगा के क्रियान्वयन के पश्चात् इसमे सुधार आया है। मनरेगा के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली मजदूरी श्रमिको के लिंग को आधार मान कर नहीं दी जाती। मनरेगा के अन्तर्गत महिला श्रमिको को न केवल पुरूष श्रमिको के समान मजदूरी का भुगतान किया जाता है बल्कि कार्य स्थल पर महिला श्रमिको को अन्य सुविधाओ के साथ बच्चो की देखरेख की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। जिससे वे निश्चिन्त होकर अपने कार्य पर केन्द्रित हो पाती है। अतः महिला श्रमिक इस योजना के अन्तर्गत कार्य करने मे प्रोत्साहित हुई है।

परिणामतः मनरेगा के क्रियान्वयन के पश्चात् से पारिश्रमिक मे सुधार आया है तथा लिंग के आधार पर मजदूरी भिन्नता कम हुई है।

निष्कर्ष –

मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार सृजन की ओर एक क्रान्तिकारी कदम है। इस योजना के क्रियान्वयन से न केवल ग्रामीण विकास की गति तेज हुई हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता ने ग्रामीण शहरी प्रवास पर भी रोक लगा दी है। मनरेगा के द्वारा सृजित रोजगार के अवसरो ने असंगठित क्षेत्रो की मजदूरी पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। ग्रामीण क्षेत्रो में श्रम की मनरेगा से संलग्नता ने श्रम की पूर्ति कम की है। अतः असंगठित क्षेत्रो में मजदूरी बढ़ी है। असंगठित क्षेत्रो में लिंग के आधार पर मजदूरी भुगतान में होने वाले भेदभाव में कमी देखने को मिली है। स्पष्ट है कि मनरेगा योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरो के लिये वरदान बन कर आई है। इससे न केवल असंगठित क्षेत्र के मजदूरो को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये है, बल्कि असंगठित क्षेत्र के पारिश्रमिक में वृद्धि का माध्यम बन कर उनके जीवन स्तर मे भी सुधार लाया है। असंगठित क्षेत्र से जुड़ी महिला श्रमिको को मनरेगा के अन्तर्गत पुरूषो के समान मजदूरी के भुगतान से, असंगठित क्षेत्रो मे भी लिंग के आधार पर पारिश्रमिक भिन्नता मे कमी आई है, जिससे यह योजना महिला समानता और सशक्तिकरण की अवधारणा का भी क्रियान्वित करती प्रतीत होती है।

References –

- UPUEA**,** Economic Journal, Volume Conference No. 4, Page 128.
- Kurukshetra , No.2, December, Page 15.
- Arthik Samiksha, 2012.
- Dandekar V.M. and Rath Nilakantha (1971) Poverty in India; Gokhale Institute of Politics and Economics
- Government of India, Ministry of Rural Development, (2007) Guidelines of SGSY, New Delhi, India, 1-23.
- Government of India, Ministry of Rural Development, Annual Report 2007-08, New Delhi, India 3-15.
- Ministry of Rural Development, Government of India, (2009) Gram Vikas: Programmes at a Glance, New Delhi, 3-4, 11.
- National Institute of Rural Development (NIRD) (1998) Rural Development Statistics, Hyderabad, India.
- Bist, Arvind Singh (2006), ‘‘Rural Employment: No Guarantee Yet’’, The Times of India, New Delhi, Feb. 19.
- www.nrega.nic.in.